फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :– सुरेश चन्द्र — विपक्षी :– राजमल

किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. — पत्रावली संख्या : 30/23

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा मुख-नामा जारी की गई

दिनांक : 15.01.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 2 से 5, 8, 9 अनुपस्थित है। आवाजें दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 2 से 5, 8, 9 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1, 6, 7 के सम्मन रजि. एडी से भेजे एक महीने से भी अधिक का समय हो चुका है। विपक्षी संख्या 1, 6, 7 अनुपस्थित हैं। आवाजे दिलवाई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1, 6, 7 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी संख्या 10 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात के पडौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से आये दिन विवाद होता हैं जिससे प्रार्थी सीमांकन कराना चाहता है। अतः विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा अरणिया पटवार हल्का पिथलपुरा तहसील कानोड जिला उदयपुर की जमाबंदी संवत 2078–81 की खाता संख्या नया 50, आराजी नम्बर 523, 533, 534 किता 3 रकबा 0.9300 हैक्टयर व खाता संख्या नया 216 की आराजी नंबर 524, 525, 535, 536, 537, 538, 539 किता 7 रकबा 5.8000 हैक्टयर भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड को नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड को एक दिन का वेतन प्रार्थी द्वारा अदा किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.02.22 16:31:29 IST
Reason: SelfAttested